झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–779 वर्ष 2017

बेबी मेरी किस्कू .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव–सह–आयुक्त, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, रांची, प्रशासनिक भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना–धुर्वा, जिला–रांची से कार्यरत।
3. जिला शिक्षा अधीक्षक, गोड्डा, गोड्डा, डाकघर–गोड्डा, थाना–गोड्डा (टी), जिला–गोड्डा से कार्यरत। .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री मनोज कुमार साह, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः– जी0पी0–I का ए0सी0

5 / 31.01.2019 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

कहा जाता है कि याचिकाकर्ता 31 मई, 2015 को सेंट फ्रांसिस मिडिल स्कूल, कर्रा टॉड़, हरियारी, डाकघर और थाना–पोरैयाहाट पूर्व, जिला–गोड्डा से सेवानिवृत हुई थीं जो एक सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थान है।

वर्तमान रिट आवेदन में, याचिकाकर्ता की शिकायत उसके अर्जित अवकाश के बकाया छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उसने यह भी कहा है कि अन्य पोस्ट रिटायरल बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और उस वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से किया गया है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि, याचिकाकर्ता के दावे का पहले प्रतिवादी–राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है, डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–506/2013 और अन्य अनुरूप मामले, मरियम तिर्की बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में इस न्यायालय की एक खण्डपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के मद्देनजर, जो 2014 (1) जे0बी0सी0जे0 465 में रिपोर्ट किए गए हैं। इस रिट याचिका को याचिकाकर्ता को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देकर डिवीजन बेंच द्वारा उपरोक्त दिए गए निर्णय के मद्देनजर निपटाया जा सकता है।

राज्य के अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों को अब अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय से तय किया गया है।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं0 3–जिला शिक्षा अधिकारी, गोड्डा को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि वह याचिकाकर्ता से संबंधित सेवा अभिलेखों की उचित जांच के बाद

और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में निर्णय लें।

यह रिट एप्लिकेशन, तदनुसार, निपटाया गया है।

(आनंदा सेन, न्याया0)